"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 205] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 अगस्त 2002—श्रावण 25, शक 1924

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 अगस्त 2002

अधिसूचना

क्रमांक डी-4226/479/2002/आजावि.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :

आदेश

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.

   (दो) यह 1 नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. इस आदेश की अनुसूची में समय-समय पर, यथा संशोधित ऐसी विधियां, जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित की जाती है तथा प्रवृत्त रहेगी जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाय. इन समस्त विधियों में उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुये समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" एवं शब्द "भोपाल" जहां कहीं भी आया हो के स्थान पर "रायपुर" स्थापित किया जावे.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये कोई भी बात या की गई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुये) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों का नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995.
2.	मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 1995.
3.	मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995.
4.	मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें नियम, 1997.
5.	मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999.
6.	मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) नियम, 2000.
7.	वक्फ अधिनियम, 1995.
8.	मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995.
9.	मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996.
10.	मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 1996.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. द्विवेदी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 अगस्त 2002

क्रमांक डी-4226/479/2002/आजावि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक डी-4226/479/2002/आजावि, दिनांक 16 अगस्त, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. द्विवेदी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 16th August 2002

NOTIFICATION

No. D-4226/479/TDD/2002.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000). The State Government hereby makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the Adaptation of Laws order, 2002.

(ii) It shall come in to force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st of November, 2000.

2. The laws as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the state of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that in all the laws for the word "Madhya Pradesh" and "Bhopal" wherever they occur the word "Chhattisgarh" and "Raipur" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, rule, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the schedule shall continue to be in force in the state of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of Laws (2)
1.	The Madhya Pradesh Rajya Anusuchit Jan Jati Ayog Adhiniyam, 1995.
2.	The Madhya Pradesh Rajya Anusuchit Jan Jati Ayog (Procedure) Regulations, 1995.
3.	The Madhya Pradesh Rajya Anusuchit Jati Ayog Adhiniyam, 1995.
4.	The Madhya Pradesh State Commission for Scheduled Castes Salaries and allowance and conditions of service of Chairperson and Members Rules, 1997.
5.	The Madhya Pradesh Adim Jan Jation Ka Sanrakshan (Vrikshon me Hit) Adhiniyam, 1999.
6.	The Madhya Pradesh Adim Jan Jation Ka Sanrakshan (Vrikshon me Hit) Rules, 2000.
7.	Wakf Adhiniyam, 1995.
8.	The Madhya Pradesh Rajya Pichhra Varg Ayog Adhiniyam, 1995.
9.	The Madhya Pradesh Rajya Alpsankhyak Ayog Adhiniyam, 1996.
10.	The Madhya Pradesh Rajya Alpsankhyak Ayog (Procedure) Regulations, 1996.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh
A. K. DWIVEDI, Joint Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.